

गैर-गोपनीय



मामला सं. एडी(ओआई) -22/2025

फा. सं. 6/25/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

अंतिम जांच परिणाम

चीन जन.गण. और थाईलैंड साम्राज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एथम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच



विषय सूची

	<u>मामले की पृष्ठभूमि</u>	4
क.	<u>प्रक्रिया</u>	5
ख.	<u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>	10
	ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार.....	11
	ख.2 घरेलू उद्योग के विचार.....	11
	ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	12
ग.	<u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>	14
	ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार.....	14
	ग.2 घरेलू उद्योग के विचार.....	15
	ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	16
घ.	<u>गोपनीयता</u>	17
	घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार.....	17
	घ.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	18
	घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	20
ड.	<u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>	21
	ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	21
	ड.2 घरेलू उद्योग के विचार.....	22
	ड.3 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण	23
च.	<u>क्षति का मूल्यांकन</u>	29
	च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार.....	29
	च.2 घरेलू उद्योग के विचार.....	32
	च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	35
	च.3.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन	36
	च.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव	37
	च.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव	40
	च.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड	42
	च.3.5 क्षति का समग्र मूल्यांकन	47
छ.	<u>गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क</u>	47

छ.1	कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक	49
ज.	<u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>	50
झ.	<u>शुल्क प्रभाव मूल्यांकन</u>	51
झ.1	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	51
झ.2	घरेलू उद्योग के विचार	52
झ.3	प्राधिकारी द्वारा जांच	54
ञ.	<u>प्रकटन-पश्चात टिप्पणियाँ</u>	57
ञ.1	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	57
ञ.2	घरेलू उद्योग के विचार	59
ञ.3	प्राधिकारी द्वारा जांच	61
ट.	<u>निष्कर्ष</u>	63
ठ.	<u>सिफारिश</u>	65
ड.	<u>आगे की प्रक्रिया</u>	67

गैर-गोपनीय

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/25/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 17.09.2026

अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. एडी(ओआई) -22/2025

विषय: चीन जन.गण. और थाईलैंड साम्राज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

1. फा.सं. 6/25/2025-डीजीटीआर- समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और उसके तहत बनाई गई समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली, 1995" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

मामले की पृष्ठभूमि

2. लुपिन लिमिटेड (जिसे इसके बाद "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन गणराज्य ("चीन जन.गण") और थाईलैंड साम्राज्य ("थाईलैंड"), जिन्हें यहां सामूहिक रूप से संबद्ध देश कहा गया है, के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया।

3. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के मद्देनज़र, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं.6/25/2025-डीजीटीआर दिनांक 23 सितंबर 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

क. प्रक्रिया

4. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क.1 जांच की शुरुआत

- i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ii. डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था कि वे क्षति की अवधि के साथ-साथ जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करें। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का निर्धारण करने और लेनदेनों की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- iii. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 के अनुसार, आवेदन-पत्र की जांच करने और पाटन, क्षति, संभावना और कारणात्मक संपर्क का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर, प्राधिकारी ने दिनांक 23 सितंबर 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
- iv. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अन्य हितबद्ध

पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

क.2 जांच की अवधि

- v. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति की जांच की अवधि में [आईआईपी] वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच की अवधि शामिल है।

क.3 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- vi. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से अगोपनीय रूपांतर की प्रति भेजी।
- vii. नियम 6(4) के अनुसरण में, सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के विवरण सहित आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां जारी की गई थी। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अनुरोध किए जाने पर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

क.4 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रतिभागिता

- viii. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करके उत्तर दिया है:

चीन जन.गण.	i. वुहान वुयाओ फार्मास्युटिकल लिमिटेड ii. मेसर्स सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लि iii. मेसर्स ब्रिलियंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड
थाईलैंड	किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है

- x. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

- xi. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, किसी भी आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशन ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है या प्रश्नावली पर अनुरोध दायर नहीं किए हैं।
- xii. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करने का निदेश दिया गया था।
- xiii. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी।
- xiv. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, या इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, को असहयोगी माना गया है।

क.5 आगे की प्रक्रिया

- xv. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपस में परिचालित किया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।
- xvi. प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर 2025 को ज्ञात निर्यातकों/आयातकों आदि को सूचना पत्र भेजे जाने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां मांगीं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए प्राधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 29 अक्टूबर 2025 के माध्यम से, जांच की शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का अंतिम क्षेत्र और पीसीएन अधिसूचित किया।
- xvii. जांच की शुरुआत के अनुसरण में, और संगत सूचना प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने के बाद तथा अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली को ध्यान में रखते हुए, रिकॉर्ड में सूचना और साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुए दिनांक 30 जनवरी, 2026 के प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए कि विचाराधीन उत्पाद

का निर्धारित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर संबद्ध देशों से निर्यात किया गया है, इस प्रकार, संबद्ध सामानों के पाटन के परिणामस्वरूप, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को इस तरह के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है, और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की।

xviii. प्राधिकारी ने निम्नलिखित प्रक्रिया के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया जिसका पालन प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद किया जाना था:

क. इन अनंतिम जांच परिणामों पर प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं, और प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने की सीमा तक अंतिम जांच परिणामों में विचार किए जाएंगे।

ख. प्राधिकारी, संबद्ध जांच से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई करेंगे।

ग. प्राधिकारी आवश्यक मानी जाने वाली सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सत्यापन भी करेंगे।

घ. अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

xix. प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए वित्त मंत्रालय को उनके विचार के लिए भेजी गई थी।

xx. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 15 मई 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध करने का निर्देश दिया गया था।

- xxi. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, साक्ष्यों के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उचित रूप से विचार किया गया है।
- xxii. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी कि क्या गोपनीयता के दावे पर्याप्त हैं। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- xxiii. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना और आंकड़ों की सटीकता को प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान संगत, व्यवहार्य और आवश्यक माने जाने की सीमा तक सत्यापित किया गया था। प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और दस्तावेजों का सत्यापन अंतिम जांच परिणामों का आधार बनता है और प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही में अपने विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xxiv. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर सूचना प्रदान करने से इनकार कर दिया है या अन्यथा सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं।
- xxv. क्षति रहित कीमत की गणना आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की इष्टतम उत्पादन लागत के आधार पर की गई है।

- xxvi. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना को उस हद तक माना गया है कि इसे साक्ष्यों के साथ समर्थित किया गया है, और वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।
- xxvii. प्राधिकरण द्वारा एडी नियमावली, 1995 के नियम 16 के अनुसार दिनांक 08.09.2026 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया, जिसमें वर्तमान प्रतिपाटनरोधी जाँच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण किया गया। सभी हितधारकों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों को, जहाँ तक वे प्रासंगिक एवं गैर-पुनरावृत्तिपूर्ण पाई गई हैं, इन अंतिम निष्कर्षों में विचार में लिया गया है।
- xxviii. इस दस्तावेज़ में ‘***’, किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxix. प्राधिकरण द्वारा इस विषयक जाँच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹85.43 है, जो कि जाँच अवधि के दौरान आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण हेतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित लागू विनिमय दरों का औसत है। उक्त विनिमय दर को इस प्रकटीकरण विवरण में समान रूप से लागू किया गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जांच की शुरुआत के स्तर पर, निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के रूप में माना गया था:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड" है, जिसका आणविक सूत्र है $C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HCl$ है। यह एथमबुटोल से निर्मित एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (मुक्त आधार) है। एथमबुटोल खराब पानी की घुलनशीलता और सीमित स्थिरता के साथ एक तैलीय तरल के रूप में मौजूद है। इसे टैबलेट और अन्य खुराक रूपों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, इसे इसके नमक रूप एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को कवर करने

का प्रयास किया गया है जब उन्हें दोनों रूपों में भारत में आयात किया जाता है।"

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पहले के उत्पाद क्षेत्र की टिप्पणियों का अभाव अंतिम स्तर पर यह सुनिश्चित करने से प्राधिकारी को नहीं रोकता है कि शुल्क विवरण स्पष्ट, वाणिज्यिक रूप से सार्थक है और अधिक व्यापक नहीं है।
- ii. एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड वाणिज्यिक रूप से व्यापारित एपीआई है, जबकि एथमबुटोल मुक्त आधार केवल एक मध्यवर्ती है और सीधे दवा निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता है।
- iii. तथ्य यह है कि रूपांतरण के बाद एथमबुटोल मुक्त आधार और एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड का समान अंतिम उपयोग बाजार में उन्हें परस्पर परिवर्तनीय नहीं बनाता है। इसलिए, पीयूसी के क्षेत्र में एथमबुटोल मुक्त आधार को शामिल करने के लिए एथमबुटोल बेस और एथमबुटोल एचसीएल को तुलनीय मानने के आधार की व्याख्या करने के लिए विशिष्ट जांच परिणाम की आवश्यकता है।
- iv. विचाराधीन उत्पाद को उन मध्यवर्तियों को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए, जो घरेलू समान वस्तु या संबद्ध एपीआई वाणिज्यिक रूप से आयातित न किए जाने वाले किसी उत्पाद से तुलनीय नहीं हैं।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड एक आणविक सूत्र $C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HCl$ के साथ एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है।
- ii. यह एथमबुटोल से निर्मित एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (मुक्त आधार) है। एथमबुटोल खराब जल घुलनशीलता और सीमित स्थिरता के साथ एक तैलीय तरल के रूप में मौजूद है। इसे टैबलेट और अन्य

खुराक रूपों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, इसे इसके नमक रूप एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) में परिवर्तित किया जाता है।

- iii. एथमबुटोल (मुक्त आधार) का कोई स्टैंडअलोन चिकित्सीय उपयोग नहीं है और इसका उपयोग सीधे फॉर्मूलेशन में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग केवल इसके हाइड्रोक्लोराइड नमक रूप - एथमबुटोल एचसीएल में रूपांतरण के बाद किया जाता है। तदनुसार, एथमबुटोल (आधार) और एथमबुटोल एचसीएल, एक ही अंतिम उपयोग साझा करते हैं, अर्थात्, ड्रग पदार्थ के रूप में। तदनुसार, आवेदक प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह एथमबुटोल के दोनों रूपों को पीयूसी के हिस्से के रूप में माने।
- iv. एथमबुटोल को एचएस कोड 2905 14 10 और 2905 14 90 के तहत आयात किया जाता है। आवेदक ने आयात आंकड़ों की जांच के लिए दोनों प्रशुल्क शीर्षों के लिए डीजीसीआई एंड एस आंकड़े मांगने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुरूप, आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे उपरोक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण को केवल संकेतात्मक रूप में माने और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी न माने।
- v. प्राधिकारी को जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 8-10 में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करनी चाहिए।
- vi. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पहले के चरण में इसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।
- vii. यद्यपि, एथमबुटोल बेस का उसकी अस्थिरता के कारण वाणिज्यिक रूप से व्यापार नहीं किया जाता है, तथापि, पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना रोकने के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत रहना चाहिए, विशेष रूप से चूंकि एथमबुटोल बेस और एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड दोनों उसी सीमा प्रशुल्क शीर्ष के अंतर्गत आते हैं और निर्यात घोषित किए जा सकते हैं।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड" है। इसका आणविक सूत्र है $C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HCl$ है। यह एथमबुटोल से निर्मित एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर

है, जो एक निवल यौगिक (मुक्त आधार) है। एथमबुटोल खराब पानी की घुलनशीलता और सीमित स्थिरता के साथ एक तैलीय तरल के रूप में मौजूद है। इसे टैबलेट और अन्य खुराक रूपों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, इसे इसके नमक रूप एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को कवर करने का प्रयास किया गया है जब उन्हें दोनों रूपों में भारत में आयात किया जाता है।

9. पीयूसी को एचएस कोड 2905 14 10 के तहत अध्याय 29 में "कार्बनिक रसायन" शीर्ष में वर्गीकृत किया गया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध सामानों का आयात 2905 14 90 के तहत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
10. यह नोट किया जाता है कि इसके अनुप्रयोग में घरेलू उद्योग द्वारा कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की गई थी। दिनांक 23.09.2025 की जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां मांगी थीं। यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणी दायर नहीं की है। तदनुसार प्राधिकारी ने 29.10.2025 की अधिसूचना द्वारा सूचित किया कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई और यह कि प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/25/2025-डीजीटीआर दिनांक 23.09.2025 में अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद के उसी क्षेत्र के साथ कार्यवाही की।
11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि एथमबुटोल बेस को पीयूसी के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह केवल एक मध्यवर्ती है और इसका उपयोग सीधे दवा उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। जांच शुरुआत अधिसूचना में एथमबुटोल बेस और इसके नमक रूप, एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड दोनों शामिल थे। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग एथमबुटोल के दोनों रूपों का निर्माण करता है। यह नोट किया जाता है कि एथमबुटोल बेस का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं है और इसे दवा के उपयोग के लिए एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड में परिवर्तित करना होगा। भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद क्षेत्र से एथाम्बुटोल बेस को बाहर करने की मांग

के लिए कोई साक्ष्य या आधार प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी जांच शुरुआत अधिसूचना और अनंतिम जांच परिणामों में उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
13. अतः, प्राधिकारी यह विचार करने का प्रस्ताव करते हैं कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान नियमावली के नियम 2(घ) के तहत परिभाषित संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की "वस्तु के समान" हैं। उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे प्रारंभिक जांच परिणामों में परिभाषित किया गया था और वह इस प्रकार है:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड” है, जो आणविक सूत्र $C_{10}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HCl$ के साथ एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है।

यह एथाम्बुटोल से निर्मित एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (मुक्त आधार) है। एथाम्बुटोल खराब पानी की घुलनशीलता और सीमित स्थिरता के साथ एक तैलीय तरल के रूप में मौजूद है। इसे टैबलेट और अन्य खुराक रूपों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, इसे इसके नमक रूप एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान जांच में उत्पाद को शामिल करने का प्रयास किया गया है जब उन्हें दोनों रूपों में भारत में आयात किया जाता है”

ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को केवल इसलिए घरेलू उद्योग के क्षेत्र से स्वतः बाहर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह संबद्ध सामानों का आयात

करता है। प्राधिकारी को आयात की प्रकृति, मात्रा और उद्देश्य की जांच करनी चाहिए और क्या उत्पादक मुख्य रूप से घरेलू उत्पादक है या नियम 2 (ख) के तहत इसे बाहर करने से पहले बाहर करने के लिए आवश्यक तरीके में रखा गया है, जो "हो सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग उन उत्पादकों से निपटने के लिए करता है जो स्वयं आयातक हैं या निर्यातकों/आयातकों से संबद्ध हैं।

- ii. कैडिला फार्मास्युटिकल्स और थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड की गैर-भागीदारी, अपने आप में, लुपिन लिमिटेड को एकमात्र पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में मानने को सही नहीं ठहराती है।
- iii. यदि लुपिन लिमिटेड को एकमात्र पात्र घरेलू उत्पादक माना जाता है, तो प्राधिकारी को कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड के उत्पादन और प्रचालनात्मक स्तर को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना चाहिए। इस तरह के सत्यापन के बिना, स्थायी निर्धारण और परिणामस्वरूप क्षति और सार्वजनिक हित विश्लेषण पूरे घरेलू उद्योग को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. लुपिन लिमिटेड के अलावा, एक अन्य घरेलू निर्माता है, अर्थात् कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जो संबद्ध सामानों का निर्माण करता है।
- ii. कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड संबद्ध सामानों का आयातक है।
- iii. थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड संबद्ध सामानों का निर्माण करता था, हालांकि, उसने संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद कर दिया है।
- iv. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे अंतिम जांच परिणामों में घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 16 में दिए गए अपने जांच परिणाम की पुष्टि करें।
- v. कैडिला फार्मास्युटिकल्स ने सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल्स के माध्यम से चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों की काफी मात्रा का आयात किया है और तदनुसार उसे पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. आवेदक ने दावा किया है कि लुपिन लिमिटेड के अलावा, संबद्ध सामानों का एक और उत्पादक है, अर्थात् कैडिला फार्मास्युटिकल लिमिटेड। थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड संबद्ध सामानों का निर्माण करती थी, हालांकि, उन्होंने संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद कर दिया है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि कैडिला फार्मास्युटिकल लिमिटेड भी उक्त संबद्ध सामानों का आयातक है।
17. आवेदक के दावे को डीजी सिस्टम आंकड़ों से सत्यापित किया गया और यह नोट किया जाता है कि कैडिला फार्मास्युटिकल लिमिटेड ने जांच की अवधि में चीन जन.गण से संबद्ध सामानों का आयात किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने मेसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड से संबद्ध सामानों के विनिर्माण, समान विनिर्माण क्षमता, उत्पादन मात्रा, घरेलू बिक्री, विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा, यदि कोई है, से संबंधित सूचना प्रदान करने और स्पष्ट करने के लिए कहा। दोनों कंपनियों से आज की तारीख तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
18. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने कैडिला फार्मास्युटिकल की विचाराधीन उत्पाद की संस्थापित क्षमता का साक्ष्य प्रदान किया है जो लुपिन लिमिटेड की संस्थापित क्षमता का लगभग 0.5% है। इसके अतिरिक्त, कैडिला फार्मास्युटिकल्स द्वारा किए गए आयात इसकी संस्थापित क्षमता के संबंध में काफी हैं। तदनुसार, प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए कैडिला फार्मास्युटिकल्स को संबद्ध सामानों के पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में नहीं मानने का प्रस्ताव करते हैं।
19. प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह भी नोट करते हैं कि लुपिन लिमिटेड का विचाराधीन उत्पाद के कुल पात्र भारतीय उत्पादन में 100% हिस्सा है और उसने किसी संबद्ध से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का देश में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। इस प्रकार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग है, और यह आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भारत में कोई कार्यालय नहीं है, नई दिल्ली और मुंबई में कार्यालय के लिए वेबसाइट की सूचना केवल एक विपणन रणनीति है। दरअसल, वेबसाइट पर नई दिल्ली और मुंबई के नाम से कोई पता नहीं दिया गया है।
- ii. जहां तक अत्यधिक गोपनीयता का संबंध है, निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर व्यापार सूचना संख्या 06/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के आधार पर दायर किया गया है। जहां कहीं भी गोपनीयता का दावा किया गया है, वहां ऐसे दावे के कारणों को उत्तर में विधिवत दर्ज किया गया है।
- iii. ब्रिलियंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड को 2022 में निगमित किया गया था और परिशिष्ट-1 में बताए अनुसार आधार वर्ष का आंकड़ा कैलेंडर वर्ष 2022 को संदर्भित करता है, क्योंकि निर्यातक का वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर है। 2022 और 2023 में कंपनी ने न तो भारत और न ही किसी अन्य देश को कोई विचाराधीन उत्पाद निर्यात किया।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका व्यापार सूचना संख्या 05/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के अनुसार नहीं है।
- v. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख कच्चे माल, घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य, याचिका में सामान्य मूल्य का देशवार अनुमान, अनुसंधान एवं विकास व्यय, प्रति यूनिट बिक्री की लागत, निर्यात, औसत नियोजित पूंजी के प्रतिशत के रूप में यदि कोई हो है, पीबीआईटी के लिए औसत उद्योग मानक के बारे में सूचना का प्रकटन नहीं किया है।
- vi. उत्पादन प्रक्रिया या संबद्ध पक्षकारों से संबंधित सूचना अत्यधिक वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील व्यापारिक सूचना है और इसलिए इसका प्रकटन हमारी प्रतिस्पर्धी स्थिति के लिए पूर्वाग्रह होगा। तथापि, प्रश्नावली के उत्तर के गोपनीय रूपांतर में उत्पादन प्रक्रिया और संबंधित कंपनियों के बारे में पूरी सूचना पहले ही प्राधिकारी को दे दी गई है।

- vii. विस्तृत उत्पादन प्रक्रियाओं या संबद्ध पक्षकार की सूचना का प्रकटन न तो रक्षा के अधिकारों के प्रयोग के लिए आवश्यक है और न ही पाटन, क्षति या कारणात्मक संपर्क के निर्धारण के लिए संगत है।
- viii. घरेलू उद्योग निर्यातकों से प्रकटन के उच्च मानक की मांग नहीं कर सकता है, जैसा कि लगातार प्राधिकारी द्वारा व्यापार उपचार कार्यवाही में पालन किया जाता है। तदनुसार, प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने का अनुरोध या या प्रतिकूल तथ्यों का अनुप्रयोग औचित्य के बिना है।
- ix. गोपनीयता के दावों को वास्तव में गोपनीय वाणिज्यिक सूचना की सुरक्षा और सार्थक अगोपनीय सार प्रदान करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। केवल स्वामित्व प्रक्रिया का प्रकटन न किया जाना प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने का औचित्य तब तक नहीं बना सकता, जब तक वह सत्यापन या जांच को वास्तविक रूप से बाधित न करे।
- x. भारत में सिनोब्राइट के कथित कार्यालय के संबंध में आपत्तियों का उपयोग प्रश्नावली के उत्तर को यांत्रिक रूप से अस्वीकार करने या जांच में किसी भी वास्तविक बाधा के अभाव में प्रतिकूल तथ्यों को लागू करने के आधार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

21. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. भाग लेने वाले निर्माता/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली के उत्तरों में पर्याप्त औचित्य प्रदान किए बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. ब्रिलियंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड की प्रश्नावली के उत्तर असंगत है क्योंकि इसने 2021-22 में उत्पादों के लिए कारोबार की सूचना दी है, हालांकि, यह केवल 2022 से प्रचालन शुरू होने का दावा करता है।
- ग. वुहान वुयाओ ने व्यापक-चरणवार उत्पादन प्रक्रिया प्रदान नहीं की है। शामिल उत्पादन प्रक्रिया का सामान्य विवरण पाटन मार्जिन के परिकलन से संबंधित सार्थक टिप्पणियां करने के लिए आवश्यक है।
- घ. वुहान वुयाओ ने अपने संबद्ध पक्षकारों के नाम को पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है और इसके अभाव में, लुपिन लिमिटेड यह टिप्पणी करने में

सक्षम नहीं है कि क्या कोई अन्य संबद्ध कंपनियां विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या बिक्री में शामिल हैं।

- ड. सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल्स का यह तर्क कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भारत कार्यालय के संदर्भ केवल एक विपणन नौटंकी है, अमान्य है और इस तरह के बयान उसके अपने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रकटन और आचरण से सीधे विरोधाभास करते हैं।
- च. व्यापार सूचना 05/2021 के अनुसार वर्तमान लागत प्रारूपों में घरेलू उद्योग को अन्य घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के मूल्य के बारे में सूचना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- छ. घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य से संबंधित सूचना प्रदान करने की आवश्यकता लागू नहीं है क्योंकि लुपिन लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र पात्र घरेलू उत्पादक है।
- ज. व्यापार सूचना 05/2021 घरेलू उद्योग को जुटाई गई धनराशि, निर्यात के लिए प्रति इकाई बिक्री की लागत, अनुसंधान एवं विकास व्यय और नियोजित औसत पूंजी के प्रतिशत के रूप में पीबीआईटी के लिए औसत उद्योग मानदंड से संबंधित सूचना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, इसका प्रकटन आवश्यक नहीं है।
- झ. प्रदर्श -III के अंतर्गत एनसीवी आवेदन-पत्र के पृष्ठ 72 पर देशवार सामान्य मूल्य के अनुमानों की सीमा विधिवत प्रदान की गई है। एनसीवी आवेदन-पत्र के पृष्ठ 53 पर कच्ची सामग्री के नाम भी बताए गए हैं।
- ञ. वुहान वुयाओ ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया और संबद्ध पक्षकारों की पहचान को छुपाकर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, यह सिद्ध किए बिना कि ऐसी सूचना बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के तहत संरक्षित है, जो पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 और डीजीटीआर के व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 07.09.2018 की प्रत्यक्ष प्रवंचना है।
- ट. वुहान वुयाओ व्यापार सूचना के तहत अपेक्षित अगोपनीय सार उपलब्ध कराने में विफल रहा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सार करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

23. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावों के मुद्दों को उठाया है। गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए हैं, जिससे हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय सार एक दूसरे को दें। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। संतुष्ट होने पर, जहां भी

आवश्यक था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. 11 दिसंबर, 2016 को विश्व व्यापार संगठन में चीन जन.गण. के अभिगम संधी नयाचार की धारा 15(क)(ii) की समाप्ति का मतलब है कि भारत, डब्ल्यूटीओ के सदस्यों में से एक के रूप में, चीन के विरुद्ध सभी पाटनरोधी जांचों के संबंध में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति के उपयोग को बंद करने के लिए बाध्य होगा।
- ii. 11 दिसंबर, 2016 के बाद, भारत के पास गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करके सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए डब्ल्यूटीओ करारों के तहत कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और अन्य शामिल करारों की आवश्यकताओं के असंगत होगी।
- iii. जांच प्राधिकारी को डब्ल्यूटीओ नियमावली के अनुसार पाटन मार्जिन की गणना करने की आवश्यकता है।
- iv. चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि अभिगम नयाचार का अनुच्छेद 15(क)(ii) 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है।
- v. सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए 'प्रतिनिधि देश' निर्धारित करने की परिपाटी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- vi. भारत डब्ल्यूटीओ के सदस्य के रूप में "पैक्टा सेंट सर्वेडा" के सिद्धांत से बंधा है और 11 दिसंबर 2016 से चीन के पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर को मान्यता देना चाहिए। यह निष्पादन करने में विफलता के लिए औचित्य के रूप में घरेलू कानून का आह्वान नहीं कर सकता है।

- vii. चीन के अभिगम के निष्कर्ष के अनुसरण में, अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने स्वीकार किया कि चीन का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। यूरोपीय संघ परिषद के निर्णय जापान से यह भी पता चलता है कि प्रतिनिधि देश पद्धति अस्थायी थी और 2016 में समाप्त हो जाएगी।
- viii. घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए जाने वाले जीएसीसी निर्यात आँकड़े पाटन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न कारकों के आधार पर विभिन्न बाजारों में निर्यात कीमतें भिन्न होती हैं। इस तरह के आंकड़े पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित पद्धति का विकल्प नहीं हो सकते।
- ix. थाईलैंड में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के लागू होने से सामान्य मूल्य का बढ़ा हुआ या दंडात्मक निर्धारण नहीं होना चाहिए।
- x. घरेलू उद्योग का गैर-पाटित अवधि से अपने ऐतिहासिक लाभों के आधार पर उपयुक्त लाभ निर्धारित करने का प्रस्ताव अनुचित है, क्योंकि ऐसे लाभ साधारण बाजार स्थितियां नहीं दर्शा सकते और पाटन मार्जिन तथा निर्मित सामान्य मूल्य बढ़ा सकते हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

25. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. घरेलू उद्योग थाईलैंड में संबद्ध सामानों की प्रचलित कीमतों के साथ-साथ थाईलैंड से तीसरे देश के बाजारों में संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के विवरण को विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करने में असमर्थ था।
 - ii. घरेलू उद्योग चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानने का अनुरोध करता है और तदनुसार, प्राधिकारी को चीन के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।
 - iii. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
 - iv. प्राधिकारी को उस अवधि से घरेलू उद्योग के वास्तविक लाभ के आधार पर उचित लाभ निर्धारित करना चाहिए, जब आयात भारत में पाटित नहीं किए गए थे और सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए।

- v. जीएसीसी द्वारा प्रकाशित आधिकारिक व्यापार आंकड़े बताते हैं कि चीन से भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात की कीमत अन्य देशों के निर्यात की तुलना में काफी कम है, जो पाटन के होने की पुष्टि करता है।
- vi. वुहान वुयाओ ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दायर नहीं की है और तदनुसार, प्राधिकारी को उनके अनुरोधों को खारिज कर देना चाहिए और अंतिम जांच परिणामों में चीन जन.गण की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्तर की पुष्टि करनी चाहिए।

ड.3 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

क) चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

26. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

27. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई।
28. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग

ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार-संचालित हैं, तो सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए।

29. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि धारा 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जो निम्नलिखित रूप में उल्लिखित है:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य या कीमत, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को उस तीसरे देश की कीमत या जहां यह संभव न हो, वहां उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित अन्य किसी उपयुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तरीके से चुना जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना को ध्यान में रखा जाएगा। जांच की समय सीमाओं के भीतर, जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में उसी तरह के मामले में की गई जांच को ध्यान में रखा जाएगा। जांच में पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन में

अनुपयुक्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समयावधि दी जाएगी"

30. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक क्रम निर्धारित है और उसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या निर्मित मूल्य के या भारत सहित ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत या जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में प्रदत्त या देय वास्तविक रूप से कीमत सहित, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा लाए गए किसी बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में प्रचलित कीमत या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है। वर्तमान जांच में संबद्ध देशों के अलावा, अन्य देशों से भारत में संबद्ध सामानों का कोई आयात नहीं है। इस प्रकार, तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था से भारत में आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भी नहीं माना जा सकता है।
31. अतः, प्राधिकारी पैरा 7 में निर्धारित किए गए अनुसार "भारत में देय कीमत" के रूप में सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए चीन जन.गण के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। इसकी गणना उचित रूप से समायोजित घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर की गई है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।

ख) चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

वुहान वुयाओ फार्मास्युटिकल्स कंपनी, लिमिटेड ("वुयाओ") के मामले में निर्यात कीमत

32. वुयाओ विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के भारत को *** एमटी निर्यात की सूचना दी है। वुयाओ ने भारत को सीधे तौर पर संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है, लेकिन असंबद्ध व्यापारियों अर्थात् मेसर्स-सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स-ब्रिलियंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है। बिक्री चैनल निम्नानुसार हैं:

बिक्री चैनल	उत्पादक	असंबद्ध निर्यातक 1	असंबद्ध निर्यातक 2	
निर्यात	<u>वूयाओ</u>	सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड		असंबद्ध ग्राहक
	<u>वूयाओ</u>	सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	ब्रिलियंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड	असंबद्ध ग्राहक

33. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और सहायक दस्तावेज भारत में सिनोब्राइट के कार्यालय के होने या प्रचालनात्मक मौजूदगी को निष्कर्षात्मक रूप से सिद्ध नहीं करते हैं। जबकि कुछ दस्तावेजों पर भारत में सिनोब्राइट के संभावित संबंध या मौजूदगी को इंगित करने के लिए भरोसा किया गया है, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं करती है कि सिनोब्राइट ने संगत अवधि के दौरान भारत में एक कार्यालय या एक स्थापित व्यवसाय मौजूदगी बनाए रखी थी। तदनुसार, रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य, जब पूरी तरह से विचार किए जाते हैं, तो भारत में सिनोब्राइट के कार्यालय के होने को निर्णायक रूप से नहीं दर्शाते हैं।
34. उत्पादक/निर्यातक ने अंतर्देशीय परिवहन और क्रेडिट लागत के कारण निर्यात कीमत में समायोजन का दावा किया है। असंबद्ध व्यापारियों ने समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह और संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क, कमीशन और क्रेडिट लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के बाद वूयाओ, सिनोब्राइट और ब्रिलियंट द्वारा दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करते हैं। इस प्रकार, निर्धारित निवल निर्यात कीमत तालिका में उल्लिखित है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

35. चीन जन.गण से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित

की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दी है।

थाईलैंड से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। तदनुसार, थाईलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नीचे तालिका में उल्लिखित है।

थाईलैंड के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

37. थाईलैंड के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

ड.3.1 . पाटन मार्जिन

38. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (डॉ./एमटी)	निर्यात कीमत (डॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (डॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
चीन					
वुहान वुयाओ फार्मास्युटिकल्स कंपनी	***	***	***	***	30-40
अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50
थाईलैंड					

उत्पादक	सामान्य मूल्य (डॉ./एमटी)	निर्यात कीमत (डॉ./ एमटी)	पाटन मार्जिन (डॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन
					(रेंज)
सभी उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	15-25

च. क्षति का मूल्यांकन

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

39. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- संबद्ध सामानों की मांग मौटे तौर पर भारत में क्षय रोग और उपचार प्रवृत्तियों के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग मुख्य रूप से टीबी उपचार के लिए किया जाता है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा मांग में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी), और डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के असंगत हैं, जो टीबी अधिसूचनाओं में धीरे-धीरे सुधार और वृद्धि को दर्शाता है।
 - आयात में वृद्धि घरेलू मांग में वृद्धि के साथ हुई, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री में भी वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि आयात ने घरेलू उत्पादन को विसिद्ध करने के बजाय मांग को पूरा किया।
 - कैप्टिव खपत को छोड़कर मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई, और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री भी जांच की अवधि के दौरान ठीक हो गई, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि में भाग लिया।
 - जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती 0-10% की संकीर्ण सीमा के भीतर आती है और काफी नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जांच परिणाम आयात के कारण कीमत न्यूनीकरण या कीमतहास सिद्ध नहीं करते हैं।

- vi. जबकि क्षति की अवधि में बिक्री की लागत में काफी वृद्धि हुई, निवल बिक्री प्राप्ति भी बढ़ गई और जांच की अवधि के दौरान स्थिर रही। इसके अतिरिक्त, आयात का पहुंच मूल्य जांच की अवधि के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रहा और इसमें कोई तेज गिरावट नहीं आई, जिससे पता चलता है कि लागत में वृद्धि आयात मूल्य निर्धारण के बजाय आंतरिक लागत वृद्धि के कारण हुई है।
- vii. कैप्टिव खपत में पर्याप्त वृद्धि दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक रूप से लिया गया था और आयात के कारण बेचने में किसी भी अक्षमता के बजाय आंतरिक उपयोग और व्यापार रणनीति को दर्शाता है। गैर-कैप्टिव बाजार हिस्सेदारी का विश्लेषण अकेले क्षति की पूरी तस्वीर पेश नहीं करता है।
- viii. यद्यपि घरेलू उद्योग लगातार हानियों की सूचना देता है, लेकिन घाटे का होना यह सिद्ध नहीं करता है कि इस तरह के हानियां चीन जन.गण से संबद्ध सामानों के आयात के कारण होती हैं। बल्कि, प्रारंभिक जांच परिणामों में दिखाई देने वाली प्रवृत्ति से पता चलता है कि क्षति आंतरिक लागत वृद्धि के कारण हुई है, न कि आयात से किसी प्रतिकूल कीमत प्रभाव के कारण।
- ix. रोजगार के स्तर और वेतन भुगतान में वृद्धि, जांच की अवधि के दौरान उत्पादकता संकेतकों में सुधार के साथ, वास्तविक क्षति के जांच परिणाम के असंगत है।
- x. प्रारंभिक जांच परिणामों में दर्ज आयातों में काफी वृद्धि पिछले वर्षों में असाधारण रूप से कम आयात से तुलना करके संचालित हैं। तदनुसार, प्रतिशत के संदर्भ में वृद्धि पर्याप्त प्रतीत होती है, घरेलू बाजार के लिए आयात की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष रूप से मामूली बनी हुई है। प्राधिकारी को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या इस तरह के आयात से घरेलू उद्योग पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- xi. पहुंच मूल्य पूरी क्षति की अवधि में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति नहीं दिखाता है।
- xii. जब कई प्रचालनात्मक संकेतकों में सुधार हुआ है तो वास्तविक क्षति पाए जाने का आधार केवल वित्तीय संकेतकों पर नहीं हो सकता।
- xiii. याचिका में उल्लेख है कि संबद्ध सामानों को दीर्घकालिक संविदाओं और निविदाओं के तहत बेचा जाता है, जिसके तहत बढ़ी हुई लागत को दर्शाने के लिए कीमतों को तुरंत संशोधित नहीं किया जा सकता है। तथापि, प्रारंभिक जांच परिणाम इस तरह

- की संविदात्मक कीमत निर्धारण बाधाओं के प्रभाव को संबद्ध आयात के प्रभावों से अलग नहीं करते हैं।
- xiv. घरेलू बिक्री और कैप्टिव खपत में उतार-चढ़ाव के संबंध में घरेलू उद्योग के स्पष्टीकरण, जिसमें कथित सरकारी खरीद और घरेलू बाजार में निर्यात प्रतिबद्धताओं का मोड़ शामिल है, रिकॉर्ड पर सबूतों द्वारा समर्थित नहीं हैं। तदनुसार, प्राधिकारी को अपने क्षति विश्लेषण केवल सत्यापित साक्ष्य के आधार पर करना चाहिए।
- xv. घरेलू उद्योग ने मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता, आसन्न क्षमता विस्तार, निर्यातोन्मुखता या भारत को संभावित रूप से निर्यात भेजे जाने के सकारात्मक निर्यातक-विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जांच परिणाम कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में वास्तविक क्षति के खतरे की अलग से जांच नहीं करते हैं।
- xvi. महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता के संबंध में दावा गलत है, क्योंकि जांच की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। कुछ अप्रयुक्त क्षमता का होना अपने आप में आयात के कारण होने वाली क्षति को सिद्ध नहीं करता है।
- xvii. प्राधिकारी को कारणात्मक संपर्क संबंधी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, अपने अंतिम जांच परिणामों में संबद्ध आयात के प्रभावों से सभी ज्ञात अन्य कारकों के प्रभावों को अलग करना चाहिए।
- xviii. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा 22% आरओसीई को अपनाने में कानूनी औचित्य का अभाव है, क्योंकि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में वास्तविक वित्तीय मापदंडों के आधार पर केवल "उचित आय" की अनुमति देना अपेक्षित है।
- xix. नियोजित पूंजी पर 22% आय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि नियोजित पूंजी के ऋण हिस्से पर भी ऐसी आय की अनुमति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान बाजार की स्थितियों को देखते हुए ऐसी आय बहुत अधिक है। पिछले समय जब ब्याज दर 18% और कॉर्पोरेट कर की दर 40% से अधिक थी, तब 22% की आय उचित थी।
- xx. ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग के मामले में, सेस्टैट ने पाया कि नियोजित पूंजी पर 22% की आय को अपनाना उचित नहीं है क्योंकि यह क्षति विश्लेषण और

कम कीमत पर बिक्री बढ़ाता है। हयोसुंग कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टैट द्वारा भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था।

- xxi. यूरोपीय संघ उन्हीं अवधियों के आधार पर लक्ष्य लाभ को निर्धारित करता है जब ईएफएमए बनाम काउंसिल (मामला टी-210/95) में माने गए अनुसार, पाटित आयातों से कोई प्रभाव नहीं था, जिसमें न्यायालय ने माना कि लक्ष्य लाभ सामान्य प्रतिस्पर्धी शर्तों के तहत उम्मीद किए गए उपयुक्त लाभ दर्शाना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

40. क्षति होने और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आधार वर्ष के संबंध में, संबद्ध देशों से संबद्ध आयात की मात्रा जांच की अवधि में लगभग 600% बढ़ गई है, भले ही भारतीय मांग में केवल 25% की वृद्धि हुई हो।
- ii. 2023-24 की तुलना में, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात में 3025% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- iii. आयात में काफी वृद्धि हुई है, हालांकि भारतीय क्षमताएं पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार, आयात पूरी तरह से मांग-आपूर्ति अंतर से अधिक है।
- iv. घरेलू उद्योग के प्रपत्र IVक में सभी सूचना इसकी गैर-कैप्टिव बिक्री से संबंधित है।
- v. गैर-कैप्टिव मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की गैर-कैप्टिव बिक्री आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कम हो गई है, जो संस्थापित क्षमता का लगभग ***% बेकार है।
- vi. जबकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के साथ जांच की अवधि में अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम था, आयात की मात्रा में वृद्धि ने घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री को पीछे छोड़ दिया, भले ही पूरे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता हो।
- vii. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।

- viii. संबद्ध देशों से किए गए आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और हास किया है।
- ix. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी लगभग ***% थी, जो जांच की अवधि में घटकर ***% हो गई है। इसी अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में ***% की तुलना में जांच की अवधि में ***% तक बढ़ गया है। संबद्ध देशों के निर्यातकों की आक्रामक निर्यात कीमत निर्धारण नीति के कारण, घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता का लगभग ***% बेकार पड़ा है।
- x. जबकि मांग में वृद्धि के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है, घरेलू उद्योग की मुक्त बाजार बिक्री में वृद्धि संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि की तुलना में बहुत कम रही है।
- xi. आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच मांग में लगभग ***% की वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की मुक्त बाजार बिक्री आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे बनी हुई है।
- xii. मांग में वृद्धि के कारण उत्पादन में वृद्धि के कारण जांच की अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में सुधार हुआ है।
- xiii. संबद्ध देशों से पाटन के कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पूरी तरह से नष्ट हो गई है, और अब इसे हानियां हो रही हैं, जिससे निरंतर प्रचालन अस्थिर हो गया है।
- xiv. घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदंड वित्त वर्ष 2023-24 से खराब होने लगे क्योंकि लागत में वृद्धि के बावजूद इसे अपनी बिक्री की कीमतों को बनाए रखने और कम करने के लिए मजबूर किया गया था।
- xv. संबद्ध देशों द्वारा अपनाई जा रही आक्रामक बिक्री रणनीतियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन उत्पाद दीर्घकालिक संविदाओं/निविदाओं के तहत बेचा जाता है, घरेलू उद्योग बढ़ी हुई लागत के अनुरूप अपनी कीमतों को तुरंत संशोधित नहीं कर सका।
- xvi. जबकि जांच की अवधि के दौरान बिक्री लागत में 22 सूचकांक तक की वृद्धि हुई, आवेदक पाटित आयातों के दबाव में अपनी बिक्री की कीमतों में तदनु रूप वृद्धि नहीं कर सका। यह नोट किया जाए कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, क्षति की अवधि में पहुंच मूल्य में केवल 1 सूचकांक तक की वृद्धि हुई।

- xvii. आवेदक को पाटित आयातों की कीमतों से मेल खाने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे घरेलू उद्योग के सभी लाभ के संगत मापदंडों में काफी गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान हानियां हुई हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक का आरओसीई जांच की अवधि में नकारात्मक हो गया है।
- xviii. मौखिक सुनवाई के दौरान, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं। तथापि, उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप चीन जनगण से निर्यात की कीमतें क्यों नहीं बढ़ीं।
- xix. घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है और इसीलिए उसकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी हद तक बाधित हुई है।
- xx. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की मात्रा में वृद्धि पूर्ण और सापेक्ष दोनों संदर्भों में इस तरह के आयात की भारतीय बाजार में तेजी से प्रवेश करने और कब्जा करने की क्षमता को दर्शाती है।
- xxi. संबद्ध देशों में उत्पादक, जो अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं, अपने घरेलू बाजार की खपत के संबंध में काफी अतिरिक्त क्षमताएं बनाए रखते हैं, जो भारतीय घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा पैदा करता है।
- xxii. भले ही जांच की अवधि में मांग और आपूर्ति का अंतर नहीं है, लेकिन आयात बहुत उच्च स्तर पर बढ़ गया है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, आयात में वृद्धि की दर और मात्रा ऐसी है कि यह न केवल घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा रही है, बल्कि घरेलू उद्योग को और भी अधिक गंभीर क्षति का खतरा पैदा कर रही है।
- xxiii. जांच की अवधि में मांग बढ़ गई है, इसलिए मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकती है।
- xxiv. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में काफी वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई और संबंधित आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादन और मांग के संबंध में संबद्ध आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई।
- xxv. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयात का पहुंच मूल्य कम हो गया। इसके अतिरिक्त, बिक्री लागत में वृद्धि निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप कीमत हास हुआ।

- xxvi. घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर अपने कुल उत्पादन और बिक्री के संबंध में काफी बने रहे।
- xxvii. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान नकद हानियां हुईं, और जांच की अवधि के दौरान इसका आरओसीई नकारात्मक हो गया।
- xxviii. आवेदन-पत्र में मांग विश्लेषण घरेलू उद्योग के सत्यापित बिक्री आंकड़ों और ट्रेड स्टेट से प्राप्त आयात आंकड़ों पर आधारित है, जो मोटे तौर पर डीजीसीआई एंड एस से प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आयात आंकड़ों और चीन सीमा शुल्क द्वारा प्रकाशित निर्यात आंकड़ों के अनुरूप हैं।
- xxix. घरेलू उद्योग को चीन के निर्यात से कीमत दबाव के कारण अपनी लागतों से कम पर बेचने और अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया था जिससे हानियां और क्षति हुई।
- xxx. यद्यपि जांच की अवधि के दौरान बिक्री की कीमतें बढ़ गईं, लेकिन बिक्री की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए वृद्धि अपर्याप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप कीमत हास हुआ।
- xxxi. बिक्री की लागत में वृद्धि कच्चे माल की उच्च लागत के कारण हुई थी। हालांकि, इनपुट लागत में वृद्धि के बावजूद, संबद्ध देशों के निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करते रहे।
- xxxii. यह तर्क कि घरेलू उद्योग की क्षति एनपीपीए कीमत निर्धारण प्रतिबंधों के कारण है, गलत है, क्योंकि एनपीपीए एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड फॉर्मूलेशन की कीमतों को विनियमित करता है, न कि एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड एपीआई को।
- xxxiii. यद्यपि घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत क्षय रोधक टैबलेट के विनिर्माण में विचाराधीन उत्पाद के आंतरिक प्रयोग के कारण बढ़ी है, तथापि उसकी गैर-कैप्टिव बिक्री में गैर-कैप्टिव मांग में वृद्धि और काफी बेकार क्षमता के बावजूद गिरावट आई, यह दर्शाता है कि कम कीमत वाले पाटित आयातों में घरेलू उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हुए गैर-कैप्टिव बाजार को ले लिया।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

41. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार

में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

च.3.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन

42. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. संबद्ध देशों से संबद्ध सामान का भारत में पाटन किया जा रहा है। अन्य संबद्ध देशों में से प्रत्येक से पाटन का मार्जिन, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा कुल आयात की मात्रा का 3% से अधिक है।
- ग. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश की जाने वाली समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जाने वाली समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
44. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के संचयी प्रभाव का आकलन करना उचित है।

च.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

45. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार, मांग का मूल्यांकन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

मांग का आकलन					
विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	16	0	4	122
चीन	एमटी	4	0	1	100
थाईलैंड	एमटी	12	0	3	22
अन्य देशों से आयात	एमटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल आयात	एमटी	16	0	4	122
कैप्टिव को छोड़कर घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	32	91

गैर-गोपनीय

अन्य उत्पादक की बिक्री	एमटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विचाराधीन उत्पाद की कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	97	151
कुल मांग/कैप्टिव खपत को छोड़कर खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	31	126
कुल मांग/कैप्टिव खपत सहित खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	61	137

* स्रोत: घरेलू उद्योग के 4क के आधार पर डीजी सिस्टम और अन्य आंकड़ों के अनुसार
आयात आंकड़े

46. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत सहित मांग में शुरू में 2022-23 में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद 2023-24 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, कैप्टिव खपत को छोड़कर मांग 2022-23 और 2023-24 में घट गई, लेकिन उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई।
47. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष और जांच की अवधि के अलावा, संबद्ध सामानों की मांग लगभग पूरी तरह से घरेलू उद्योग द्वारा पूरी की जा रही थी।
48. यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए कैप्टिव को छोड़कर कुल मांग में क्षति की अवधि में 26% की वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देशों से आयात मात्रा

49. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से डीजी सिस्टम के

आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की आयात मात्रा और क्षति जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध देश	एमटी	16	0	4	122
चीन	एमटी	4	0	1	100
थाईलैंड	एमटी	12	0	3	22
अन्य आयात	एमटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल आयात	एमटी	16	0	4	122
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***
घरेलू उत्पादन	रेंज	0-10	0-10	0-10	10-20
मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	%	***	***	***	***
मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	रेंज	0-10	0-10	0-10	30-40
मांग (कैप्टिव सहित)	%	***	***	***	***
मांग (कैप्टिव सहित)	रेंज	0-10	0-10	0-10	10-20
कुल आयात	%	100	100	100	100

* स्रोत: डीजी सिस्टम के अनुसार आयात आंकड़े।

50. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. संबद्ध सामानों के आयात में अचानक वृद्धि देखी गई है।
- ख. जबकि वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2023-24 में कैप्टिव को छोड़कर मांग का केवल ***% और ***% आयात था, ऐसे आयात जांच की अवधि में मांग का लगभग ***% है।
- ग. यह भी नोट किया जाता है कि कैप्टिव को छोड़कर जांच की अवधि में मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन इस तरह की मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देशों से आयात की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है।

- घ. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष में विचाराधीन उत्पाद और जांच की अवधि की गैर-कैप्टिव मांग समान रही है, लेकिन इसी अवधि में ऐसी मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में ***% की गिरावट आई है।
- ड. कैप्टिव को छोड़कर घरेलू उत्पादन और मांग के सापेक्ष आयात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ गई है।

च.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

51. कीमतों पर पाटित आयातों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (ii) के अनुसार प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत को समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों को अन्यथा कम करना है या कीमत वृद्धि रोकता है, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती।

क) कीमत कटौती

52. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ संबद्ध आयात की पहुंच कीमत की तुलना की है। निर्धारित कीमत कटौती नीचे दी गई है।

कीमत कटौती				
विवरण	यूनिट	चीन जन.गण.	थाईलैंड	संबद्ध देश
पहुंच मूल्य	रु./एमटी	33,16,834	3291936	33,12,434
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती	रैंज	0-10	0-10	0-10

* स्रोत: घरेलू उद्योग के IVक के आधार पर डीजी सिस्टम और एनएसआर के अनुसार पहुंच मूल्य

53. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से संबद्ध आयात द्वारा काफी सकारात्मक कीमत कटौती है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री की लागत से नीचे बेचने के बावजूद ऐसी कीमत कटौती मौजूद है।

ख) कीमत हास/न्यूनीकरण

54. कीमत हास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य से घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली की तुलना करने के बाद कीमत न्यूनीकरण और हास की मौजूदगी की जांच की है। यह नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

कीमत हास/कीमत न्यूनीकरण					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	122
पहुंच मूल्य	रु./एमटी	32,65,004	-	33,84,723	33,12,434
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	104	101
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	104	104

* स्रोत: घरेलू उद्योग के IVक के आधार पर डीजी सिस्टम और एनएसआर के अनुसार पहुंच मूल्य

55. जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में 22 सूचकांक की वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में केवल 4 सूचकांक की वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि इसी अवधि के दौरान, पहुंच मूल्य लगभग समान स्तर पर रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में लगातार वृद्धि हुई है, जो कि जांच की अवधि में सबसे अधिक है, जबकि संबद्ध देशों से आयातित सामानों का मूल्य 2023-24 में मामूली रूप से बढ़ा है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है। आयात का पहुंच मूल्य 2023-24 में घरेलू उद्योग की बिक्री की

लागत और निवल बिक्री प्राप्ति के साथ-साथ जांच की अवधि से नीचे रहा है। जबकि घरेलू उद्योग अपनी निवल बिक्री प्राप्ति को 2023-24 तक बढ़ाने में सक्षम था, वह लागत में काफी वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में असमर्थ था। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहा है।

च.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

56. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और तर्कों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षतिकारक मापदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

57. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा पर विचार किया है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	62	64	113
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
रेंज	%	60-70	40-50	40-50	70-80
कैप्टिव को छोड़कर घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	32	91

गैर-गोपनीय

कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	97	151

* स्रोत: घरेलू उद्योग के IVक के अनुसार आंकड़े

58. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- घरेलू उद्योग के उत्पादन में भारत में संबद्ध सामानों की मांग की प्रवृत्ति अपनाई है। मांग में वृद्धि के साथ, पिछले वर्षों और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन बढ़ गया है।
- मांग और उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, कैप्टिव को छोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- यद्यपि क्षति की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, तथापि यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में पर्याप्त मांग होने के बावजूद, क्षमता का ***% से अधिक उपयोग नहीं किया गया।

ख) बाजार हिस्सा

59. घरेलू उद्योग और आयात की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

बाजार हिस्सा (कैप्टिव को छोड़कर)					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग	रेंज	90-100	90-100	90-100	60-70
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
संबद्ध आयात	रेंज	0-10	0-10	0-10	30-40
अन्य देश का आयात	%	***	***	***	***

60. यह नोट किया जाता है कि वित्त वर्ष 22-23 और वित्त वर्ष 23-24 में सुधार के बाद घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि गैर-कैप्टिव मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में ***% की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में यह अचानक गिरावट विशेष रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ मेल खाती है।

ग) मालसूची

61. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

मालसूची	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***

62. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में गिरावट आई है, तथापि, घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन और बिक्री के संबंध में मालसूची काफी बनी हुई है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय

63. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय, और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं:

लाभप्रदता मापदंड					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	122
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	104	104
पीबीटी	रु./एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	5	(94)
पीबीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	7	(88)
पीबीडीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	(***)

गैर-गोपनीय

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	16	(72)
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	14	(77)
आरओसीई	%	***	***	***	(***)
रेंज	%	60-70	10-20	0-10	(40) - (30)

* स्रोत: घरेलू उद्योग के प्रपत्र IVक पर आधारित आंकड़े

64. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 22 सूचकांक बढ़ गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान, एनएसआर में केवल 4 सूचकांक की वृद्धि हुई है।
- यह भी नोट किया जाता है कि बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग अपनी निवल बिक्री प्राप्ति को तदनुरूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान हानि हुई है।
- महत्वपूर्ण रूप से, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान काफी नकद हानियां हुई हैं, और इस अवधि के दौरान इसका आरओसीई भी नकारात्मक हो गया है।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

65. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:

श्रम और उत्पादकता मापदंड					
विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	POI
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	75	96
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	91	148

प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	62	65	113
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	86	118

* स्रोत: घरेलू उद्योग के प्रपत्र IVक के अनुसार आंकड़े

66. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। तथापि, क्षति की अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है।
67. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षति की अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन	%	(***)	***	***
घरेलू बिक्री	%	(***)	(***)	(***)
लाभ	%	(***)	(***)	(***)
आरओसीई	%	(***)	(***)	(***)
नकद लाभ	%	(***)	(***)	(***)

68. उपरोक्त से, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, तथापि लाभप्रदता और आरओसीई में काफी गिरावट आई है। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग के नकद लाभ में काफी गिरावट आई है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

69. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह अपने निवेश पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है और इसलिए, पूंजी निवेश बढ़ाने की उसकी क्षमता काफी हद तक बाधित हुई है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण कोई नया निवेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादक पहले से किए गए निवेश पर आय अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं।

ज) पाटन की मात्रा

70. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का काफी पाटन है, जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को प्रभावित किया है।
71. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

च.3.5 क्षति का समग्र मूल्यांकन

72. संबद्ध उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से निम्नलिखित पता चलता है:
- आधार वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात में काफी वृद्धि हुई है।
 - गैर-कैप्टिव मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी जांच की अवधि में 30% से अधिक घट गई है। गैर-कैप्टिव मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी संबद्ध देशों से संबद्ध आयात द्वारा अलग चली गई है।
 - घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन काफी खराब हो गया है। घरेलू उद्योग को नकद हानियां हुई हैं और जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय संचित हुई है।
 - जांच की अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य बिक्री लागत और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। काफी कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण है।
 - घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में क्षति की शेष अवधि की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री में वृद्धि लागत से कम बिक्री करके हासिल की गई थी।

छ. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

73. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा सकते हैं। प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर

ज्ञात कारकों की जांच की है और यह पता लगाया है कि क्या ऐसे कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं, ताकि अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति, यदि कोई हो, पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के अलावा, पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध सामानों की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

74. संबद्ध देशों से आयात कुल भारतीय आयात का 100% है। किसी तीसरे देश से आयात नहीं है।

ख) मांग में संकुचन

75. जबकि मांग में शुरू में आधार वर्ष के बाद गिरावट आई थी, लेकिन जांच की अवधि में इसमें काफी वृद्धि हुई है और यह आधार स्तर से ऊपर है। कुल मिलाकर, क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई। इसलिए, मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत का पैटर्न

76. विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में किसी भी वास्तविक परिवर्तन के रिकॉर्ड के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी पक्षकार ने खपत के पैटर्न में किसी भी परिवर्तन का दावा नहीं किया है। इसलिए, यह कारक क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

घ) प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को कथित क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि प्रौद्योगिकी में विकास या परिवर्तनों पर किसी भी पक्षकार द्वारा विवाद नहीं किया गया है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

79. यहां ऊपर जांची गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

80. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का संभावित कारण नहीं है।

छ.1 कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

81. जबकि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को हानि नहीं पहुंचाई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति होती है।
- i. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है।
 - ii. संबद्ध देशों से पाटित आयातों में पूर्ण और सापेक्ष दोनों दृष्टि से जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है।

- iii. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, भले ही मांग में वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयात ने वास्तव में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है।
 - iv. संबद्ध देशों से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हुई है, साथ ही घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण हुआ है।
 - v. जबकि मांग में वृद्धि के साथ जांच की अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई है, मांग में वृद्धि के साथ घरेलू बिक्री में वृद्धि नहीं हुई है।
 - vi. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान नकद हानियों सहित हानियां हुई हैं और जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक आय हुई है।
82. प्राधिकारी, उपर्युक्त को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच एक कारणात्मक संपर्क मौजूद है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

83. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति की अवधि के दौरान कच्चे माल और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती खर्चों को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) कर पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी ताकि क्षतिरहित कीमत निकाली जा सके, जैसा कि नियमावली, 1995 के अनुबंध-III में निर्धारित है।
84. पहुंच कीमत और ऊपर निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (डॉ./एमटी)	पहुंच मूल्य (डॉ./एमटी)	क्षति मार्जिन (डॉ./एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन
					(रेंज)
चीन					
वुहान वुयाओ फार्मास्युटिकल्स कंपनी, लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20
थाईलैंड					
सभी उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	15-25

झ. शुल्क प्रभाव मूल्यांकनसार्वजनिक हित और घरेलू उद्योग के हितझ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

85. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाते हैं तो विचाराधीन उत्पाद के निचल स्तर के प्रयोक्ता और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए महंगा होगा और भारत में अंतिम उपभोक्ताओं को नुकसान होगा।
- संबंधित मंत्रालय शुल्क लगाने का विरोध करेगा क्योंकि इसका बड़ी संख्या में निर्यातक/व्यापारी/आयातकों और प्रयोक्ताओं पर भारी प्रभाव पड़ेगा।
- पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विपरीत होगा, क्योंकि एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड क्षय रोग के उपचार में उपयोग किया जाने वाला एक आवश्यक एपीआई है, जहां वहनीयता और निर्बाध उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

- iv. क्षतिरहित कीमत का निर्धारण अविश्वसनीय है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय लागत संरचनाओं या दक्षता मानदंडों के विरुद्ध बेंचमार्किंग के बिना, केवल घरेलू उद्योग के गोपनीय आंकड़ों पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप एक बढ़ा हुआ क्षति मार्जिन और असमान शुल्क लगते हैं, जो सार्वजनिक हित के विपरीत है।
- v. नियामक बाधाओं और सार्वजनिक खरीद तंत्र को देखते हुए, पाटनरोधी शुल्क कथित क्षति को समाप्त किए बिना इनपुट लागत में वृद्धि करेगा, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाएगी।
- vi. पाटन और क्षति की मौजूदगी को मानते हुए भी, सार्वजनिक हित संबंधी विचारों को पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि शुल्क लगाने से सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण उद्देश्यों और अनिवार्य दवाओं तक पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- vii. जहां फिक्सड-डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स में विचाराधीन उत्पाद का उपयोग किया जाता है, खरीद, फॉर्मूलेशन व्यवहार्यता और उत्पाद उपलब्धता पर भी प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।
- viii. भारतीय प्रयोक्ताओं की गैर-भागीदारी को प्रयोक्ताओं के हित के निर्धारक के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्राधिकारी के पास एक अनिवार्य क्षय रोगरोधी एपीआई के संबंध में सार्वजनिक हित की जांच करने की स्वतंत्र जिम्मेदारी है।
- ix. राष्ट्रीय औषधि कीमत निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा क्षय रोगरोधी फॉर्मूलेशन पर लगाई गई कीमत सीमाएं निचल स्तर के उत्पादकों को कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत पर लगाने से रोकती हैं, जिससे एपीआई की कीमत पर एक सीमा लग जाती है।
- x. मात्र पर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता की मौजूदगी आपूर्ति सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं करती, जो वास्तविक उपलब्धता, कीमत निर्धारण अनुशासन, खरीद लचीलापन, गुणवत्ता, लीड टाइम, आकस्मिक योजना और निरंतर प्रतिस्पर्धा जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है।
- xi. प्राधिकारी को सार्वजनिक हित परीक्षण को दरकिनार करने के मद्देनज़र, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध घरेलू उद्योग की कथित क्षति को संतुलित करना चाहिए और जांच समाप्त कर देनी चाहिए।

झ.2 घरेलू उद्योग के विचार

86. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग विभिन्न संयोजनों में किया जाता है और कुछ संयोजनों के लिए कीमतें एनपीपीए द्वारा विनियमित की जाती हैं। सभी अंतिम उत्पादों पर प्रभाव 2% होगा, जबकि अनियंत्रित उत्पादों पर प्रभाव, यानी उन संयोजनों के लिए कीमतें जिनके लिए कीमत एनपीपीए द्वारा विनियमित नहीं है, लगभग 1% होगा।
- ii. यह नोट किया जाए कि अनियंत्रित उत्पादों की बाजार हिस्सेदारी लगभग 90% है।
- iii. घरेलू उद्योग के पास संबद्ध सामानों की भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- iv. भारत में संबद्ध सामानों के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है, और घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- v. एथाम्बुटोल फॉर्मूलेशन की कीमतें केवल कीमत विनियमन के अधीन हैं और इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड फॉर्मूलेशन की कीमतें नहीं बढ़ेंगी।
- vi. प्रमुख आयातकों जैसे सेंचुरियन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड (प्रचालन आय 154.03 करोड़), एक्वेटिक रेमेडीज (राजस्व 1000 -1250 करोड़), रस्किन केमिफार्म (राजस्व 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के पास जांच में भाग लेने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।
- vii. प्रयोक्ताओं द्वारा भाग न लेना जानबूझकर किया गया है और इसका उद्देश्य प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने से रोकना है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोक्ता उद्योग पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।
- viii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से केवल कीमत सुधार के माध्यम से पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभावों को खत्म करने का प्रयास करता है, और संबद्ध सामानों को उचित कीमतों पर स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है।
- ix. पाटनरोधी उपायों के अभाव में, लगातार पाटित आयातों से घरेलू उत्पादन वाणिज्यिक रूप से गैर-अर्थक्षम हो सकता है, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमता समाप्त हो सकती है और अनिवार्य दवाई के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है।
- x. प्राधिकारी को व्यापार उपचारात्मक उपाय न लगाने के प्रभाव डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र की रिपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। विशेष रूप से, रिपोर्ट पेनिसिलिन-जी के मामले के अध्ययन पर चर्चा करती है, जो एक महत्वपूर्ण ड्रग्स है, जो वर्तमान एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड जांच के लिए एक चेतावनी के उदाहरण के रूप में कार्य करता है।
- xi. भारत में पेनिसिलिन-जी क्षमता के नष्ट होने के बाद, भारत एक मूलभूत एंटीबायोटिक में आत्मनिर्भरता की स्थिति से आयात पर निर्भरता में स्थानांतरित हो गया, और बाद में चीन के उत्पादकों ने कीमतों में काफी वृद्धि की।

- xii. इसलिए पेनिसिलिन जी मामला दर्शाता है कि पाटित आयात अल्पकालिक में फायदेमंद प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वे घरेलू क्षमता को नष्ट करके दीर्घकालिक रणनीतिक सुभेद्यता पैदा कर सकते हैं।
- xiii. यदि चीन और थाईलैंड से किए गए आयात को सुधारात्मक पाटनरोधी उपायों के बिना जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो घरेलू उत्पादक को अलाभकारी कीमतों पर काम करने, क्षमता उपयोग में गिरावट का सामना करने और अंततः उत्पादन को कम करने या बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे न केवल एक उत्पादक को नुकसान होगा; यह एक आवश्यक दवा में भारत की घरेलू क्षमता को कमजोर करेगा और देश को अनावश्यक आयात निर्भरता के लिए उजागर करेगा।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आम तौर पर, पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित करने के लिए पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांच व्यापार विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उपयुक्त शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित कर घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर लाना है। साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि इन शुल्कों का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, शुल्क लगाने से घरेलू तौर पर प्रतिस्पर्धा की चिंताएं शुरू हो सकती हैं परंतु देश के भीतर नए उत्पादकों के उभरने की स्थिति भी बढ़ सकती है।
88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी भारतीय प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के अलावा केवल चीनी व्यापारियों, यानी सिनोब्राइट और ब्रिलियंट ने आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की है। जबकि, घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों से निर्मित बाजार में बेचे जाने वाले विभिन्न फॉर्मूलेशनों की विस्तृत प्रभाव गणना प्रदान की है, सिनोब्राइट और ब्रिलियंट ने केवल अपने प्रश्नावली में सामान्य विवरण दिए हैं।

89. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड के कुछ फॉर्मूलेशन राष्ट्रीय ड्रग कीमत निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विनियमन के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव लगभग 0-2% होगा। यह नोट किया जाता है कि किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने एथाम्बुटोल के फॉर्मूलेशन के कीमत प्रभाव को दर्शाने वाली कोई गणना प्रस्तुत नहीं की है।
90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि पाटनरोधी शुल्क लगाना इस आधार पर सार्वजनिक हित के विपरीत होगा कि संबद्ध सामान क्षय रोग उपचार में उपयोग की जाने वाली एक आवश्यक एपीआई है, गलत है। भारत के लिए एपीआई विनिर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश जेनेरिक दवाओं का एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है, फिर भी चीन से आयातित एपीआई पर काफी हद तक निर्भर है। इसके अतिरिक्त, आयातित एपीआई पर भारत की निर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे दवा क्षेत्र आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों, कीमत अस्थिरता और आवश्यक दवाओं की वहनीयता और उपलब्धता के जोखिमों के अधीन है। इसलिए प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और दवा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए घरेलू एपीआई विनिर्माण को मजबूत करना अनिवार्य है।
91. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू विनिर्माण और संबद्ध सामानों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि घरेलू उद्योग के पास पूरी घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग की रिपोर्ट में भी इसी बात पर प्रकाश डाला गया है, जिसका शीर्षक है "अंतिम रिपोर्ट: एपीआई के संश्लेषण के मार्ग के लिए नवीन/अभिनव और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का सर्वेक्षण जो वर्तमान में आयात निर्भरता को कम करने के लिए आयात किया जा रहा है"। तदनुसार, पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विपरीत नहीं है।
92. यह भी नोट किया जाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग-आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है। उप-इष्टतम क्षमता उपयोग के वर्तमान स्तर पर भी, घरेलू उद्योग के

पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है। वास्तव में, घरेलू उद्योग पिछले वर्षों में संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करता रहा है।

93. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई गणनाओं की जांच की है। प्राधिकारी ने विभिन्न उत्पादों पर प्रभाव का आकलन निम्नानुसार किया है। इसे नीचे दर्शाया गया है:

प्रभाव आकलन - ईटीबी पर पाटनरोधी शुल्क: निचले स्तर/उपभोक्ता प्रभाव

क्र.सं.	विवरण	मूल्य
1	पाटनरोधी दर पर विचार किया गया	यूएसडी 5,000 एमटी (यूएसडी 5/किलोग्राम) ईटीबी का 427.40 रु. प्रति किलोग्राम
2	विश्लेषण किए गए ईटीबी फॉर्मूलेशन की संख्या	12
3	फॉर्मूलेशन की औसत कीमत	155.33 रु. प्रति 10-टेबलेट स्ट्रिप
4	प्रति स्ट्रिप औसत ईटीबी सामग्री	6.456 जी प्रति 10-टेबलेट स्ट्रिप
5	पाटनरोधी शुल्क के कारण वृद्धिशील लागत	2.76 रु. प्रति पट्टी
6	विश्लेषण का आधार	12 फॉर्मूलेशनों में बिक्री-हिस्सा भारित
7	डी-नियंत्रित फॉर्मूलेशन पर भारित औसत प्रभाव	1.77% फॉर्मूलेशन मूल्य
8	नियंत्रित (अनुसूचित) फॉर्मूलेशन पर प्रभाव	शून्य – कोई उपभोक्ता-कीमत प्रभाव नहीं

स्रोत: घरेलू उद्योग के अनुरोध

94. 5/किग्रा. यूएसडॉ. के पाटनरोधी शुल्क पर, शुल्क 10-टेबलेट प्रति स्ट्रिप के लगभग 2.76 की अतिरिक्त लागत में तब्दील हो जाता है। नियंत्रित फॉर्मूलेशन का उपभोक्ता मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और नियंत्रण-मुक्त फॉर्मूलेशन पर औसत प्रभाव फॉर्मूलेशन मूल्य का 2% (लगभग 1.77%) से कम है।
95. जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, अंतिम उपभोक्ता उत्पाद पर शुल्कों का प्रभाव 2% से कम होगा।

96. तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर कथित प्रतिकूल प्रभाव निराधार और अतिरंजित है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा, कमी नहीं होगी या प्रयोक्ताओं पर असमान बोझ नहीं पड़ेगा। यह केवल यह सुनिश्चित करेगा कि आयात उचित कीमतों पर भारत में प्रवेश करें और घरेलू उद्योग को क्षति न पहुंचाएं।

ज. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियाँ

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- (क) प्राधिकारी यह स्पष्ट करें कि ऐसा कोई उत्पाद, जिसका संबंध एपीआई के रूप में वाणिज्यिक आयात नहीं किया जाता है, अथवा ऐसा कोई मध्यवर्ती उत्पाद, जो घरेलू समान वस्तु के साथ तुलनीय नहीं है, केवल नामपद्धति के आधार पर शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
 - (ख) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अंतिम चरण में उत्पाद का दायरा अत्यधिक व्यापक अथवा अस्पष्ट न हो, विशेष रूप से इसलिए कि शुल्क तालिका में दो टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत “एथमब्यूटोल” और “एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड” दोनों को शामिल किया गया है।
 - (ग) चीन के डब्ल्यूटीओ परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(ii) के संगत प्रावधानों की समाप्ति के पश्चात, 11 दिसंबर, 2016 के बाद चीन जन.गण. के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति को निरंतर लागू करने तथा सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सरोगेट देश के आंकड़ों के उपयोग का कोई वैध विधिक आधार नहीं है।
 - (घ) वुहान वुयाओ ने वर्तमान जांच में पूर्ण सहयोग किया है और उसे अवशिष्ट श्रेणी के समतुल्य नहीं माना जाना चाहिए, जिसने जांच में भाग नहीं लिया है अथवा व्यक्तिगत निर्धारण हेतु सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

- (ड) मांग में तीव्र उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से वर्ष 2023-24 में सूचकांक का घटकर 31 हो जाना और उसके पश्चात जांच अवधि में तीव्र वृद्धि के साथ 126 हो जाना, अंतर्निहित मांग आंकड़ों की विश्वसनीयता की जांच की अपेक्षा करता है।
- (च) आयातों में वृद्धि को, स्वयं में, वास्तविक क्षति का साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। आयात 16 मी.ट. के निम्न आधार से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 122 मी.ट. हो गए, जबकि क्षति अवधि के दौरान कैप्टिव खपत को छोड़कर समग्र मांग में 26% की वृद्धि हुई। तदनुसार, आयातों में वृद्धि का मूल्यांकन समग्र बाजार और मांग की स्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।
- (छ) यदि आवेदक के उत्पादन के पर्याप्त भाग का उपयोग कैप्टिव रूप से किया जाता है, तो गैर-कैप्टिव बाजार हिस्से के विश्लेषण को क्षति की संपूर्ण तस्वीर नहीं माना जा सकता। कैप्टिव निर्णयों तथा आंतरिक अंतरण संबंधी आवश्यकताओं को घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव से पृथक किया जाना चाहिए।
- (ज) प्राधिकारी द्वारा प्रकट की गई कीमत कटौती, जो 0-10% की सीमा में है, को स्वयं में महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक कीमत प्रभाव स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
- (झ) पहुंच मूल्य संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है। अतः, यह दावा कि आयातों ने कीमतों को ऐसे स्तर पर बनाए रखा जिससे लागत में वृद्धि को आगे अंतरित नहीं किया जा सका, कारणात्मक विश्लेषण की अपेक्षा करता है।
- (ञ) क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु नियोजित पूंजी पर 22% की एकसमान कर-पूर्व आय को अपनाया जाना न्यायोचित नहीं है और इसके परिणामस्वरूप एनआईपी तथा क्षति मार्जिन बढ़े हुए निर्धारित होते हैं।
- (ट) प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी न किया जाना सार्वजनिक हित विश्लेषण का विकल्प नहीं हो सकता। अनेक प्रयोक्ता संसाधनों के अभाव, खरीद संबंधी समय-सीमाओं, वाणिज्यिक संवेदनशीलताओं अथवा इस विश्वास के कारण भाग नहीं ले पाते कि औषध विभाग/एनपीपीए का ढांचा वहनीयता के मुद्दे का समाधान करेगा।

- (ठ) सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु आपूर्ति की सुरक्षा किसी एक घरेलू उत्पादक पर निर्भरता से सुनिश्चित नहीं होती। यह घरेलू स्रोतों और उचित कीमत वाले आयातों सहित अनेक विश्वसनीय स्रोतों से सुनिश्चित होती है।

अ.2 घरेलू उद्योग के विचार

98. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (ड) घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे इस बात की पुष्टि करें कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम (ढ) के संदर्भ में, संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं की 'समान वस्तु' हैं।
- (ढ) घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे इस बात की पुष्टि करें कि एथमब्यूटोल के दोनों रूप विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं, क्योंकि संबद्ध वस्तुओं के दोनों रूप एक ही सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, और एथमब्यूटोल बेस को बाहर रखने से परिवर्चन होगा, जिसमें संबद्ध देशों के निर्यातक अपने निर्यातों को बेस रूप की ओर मोड़ देंगे अथवा एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड को एथमब्यूटोल के रूप में गलत घोषित करेंगे।
- (ण) घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे अंतिम जांच परिणामों में इस बात की पुष्टि करें कि ल्यूपिन लिमिटेड घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।
- (त) प्रकटन विवरण में यह विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय "उचित" लाभ की कितनी मात्रा पर विचार किया गया है। प्रत्येक जांच में 5% लाभ मार्जिन को अपनाया जाना अनुबंध-1 के अंतर्गत इस "उचित" मानक को पूरा नहीं करता।
- (ठ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लगभग 600% तथा वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 3025% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

- (द) मांग में वृद्धि होने के बावजूद जांच अवधि में गैर-कैप्टिव मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि संबद्ध आयातों का तदनुरूपी बाजार हिस्सा एकल अंक से बढ़कर 30-40% हो गया है - जिससे स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों ने कब्जा कर लिया है।
- (ध) संबद्ध आयातों द्वारा उल्लेखनीय सकारात्मक कीमत कटौती की जा रही है, और संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण एवं हास किया है।
- (न) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय में तीव्र गिरावट आई है और ये जांच अवधि में नकारात्मक हो गए हैं, जिससे वास्तविक क्षति हुई है तथा आगे निवेश करने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है।
- (प) यद्यपि मांग में वृद्धि के अनुरूप जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में सुधार हुआ, तथापि यह सुधार बाजार हिस्सा बनाए रखने हेतु लागत से कम कीमत पर बिक्री करके ही प्राप्त किया गया, और इसके बावजूद संस्थापित क्षमता का 20-30% से अधिक भाग निष्क्रिय रहा।
- (फ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध विद्यमान है, और किसी अन्य ज्ञात कारक ने ऐसी क्षति कारित नहीं की है अथवा उसमें योगदान नहीं दिया है।
- (ब) घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे अंतिम जांच परिणामों में इस बात की पुष्टि करें कि प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का कथित प्रतिकूल प्रभाव असमर्थित है, तथा शुल्क के अधिरोपण से न तो आयात प्रतिबंधित होंगे, न अभाव उत्पन्न होगा और न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर कोई असंगत भार पड़ेगा, अपितु इससे केवल यह सुनिश्चित होगा कि आयात भारत में उचित, गैर-पाटित कीमतों पर प्रवेश करें।
- (भ) घरेलू उद्योग अपने अनुरोध को दोहराता है और प्राधिकारी का ध्यान डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र द्वारा जारी “भारत में पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव पर रिपोर्ट” की

और, तथा विशेष रूप से पेनिसिलिन-जी के केस अध्ययन की ओर आकृष्ट करता है, जिसमें चीन से निरंतर पाटित आयातों ने एक आधारभूत एंटीबायोटिक के लिए भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता को उत्तरोत्तर क्षीण कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः भारत आयात पर निर्भर हो गया और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बाजार पर कब्जा कर लिए जाने के पश्चात उसे कीमतों में हुई वृद्धि का सामना करना पड़ा।

- (म) घरेलू उद्योग आयातों को प्रतिबंधित करने की मांग नहीं करता, अपितु केवल क्षतिकारी पाटित कीमतों में सुधार के माध्यम से समान अवसर की मांग करता है, और आयात उचित, गैर-पाटित कीमतों पर जारी रहने के लिए स्वतंत्र हैं।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

99. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रकटन-पश्चात अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन-पश्चात चरण में किए गए अनेक अनुरोध जांच के दौरान पहले ही किए जा चुके अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं, जिनकी जांच प्रकटन विवरण में पहले ही की जा चुकी है। तथापि, प्राधिकारी ने सभी संगत टिप्पणियों पर उस सीमा तक विचार किया है जिस सीमा तक वे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और अंतिम निर्धारण के लिए तात्विक हैं।
100. इस तर्क के संबंध में कि अनंतिम जांच परिणामों की शुल्क तालिका में उल्लिखित उत्पाद विवरण, एथमब्यूटोल, एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड, दो टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं, यह नोट किया जाता है कि “एथमब्यूटोल, एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड” एचएस कोड 2905 1410 के विवरण से संबंधित है। अतः, विचाराधीन उत्पाद के दोनों रूप दो भिन्न टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि एथमब्यूटोल बेस का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं है और औषधीय उपयोग हेतु इसे एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। तदनुसार, प्राधिकारी जांच शुरुआत अधिसूचना और अनंतिम जांच परिणामों में यथा-उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करते हैं।
101. मांग आंकड़ों में उतार-चढ़ाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इनका परिकलन स्वतंत्र रूप से घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री, जिसका सत्यापन उसके एसएपी

अभिलेखों से किया गया है, तथा डीजी सिस्टम्स पर आधारित आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयात आंकड़े वुहान वुयाओ के परिशिष्ट-1 के अनुरूप हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का मत है कि उन्होंने मांग का परिकलन सही ढंग से किया है।

102. इस तर्क के संबंध में कि गैर-कैप्टिव बाजार विश्लेषण क्षति की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने कैप्टिव और गैर-कैप्टिव दोनों बाजारों के लिए मांग और घरेलू उद्योग की बिक्री का मूल्यांकन किया है। जांच अवधि के दौरान उत्पादन और मांग में वृद्धि के साथ-साथ जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कैप्टिव एवं गैर-कैप्टिव बिक्री में वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि उत्पादन और कैप्टिव बिक्री में इस वृद्धि के बावजूद, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता शेष थी।
103. इस तर्क के संबंध में कि नियोजित पूंजी पर 22% की एकसमान कर-पूर्व आय को अपनाने से क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन बढ़े हुए निर्धारित होते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांचों में अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार, प्राधिकारी ने इस प्रयोजन हेतु नियोजित पूंजी पर 22% आय को उचित आय माना है। उक्त पद्धति को माननीय सेस्टेट के परवर्ती निर्णयों में भी बरकरार रखा गया है, जिनमें मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मैसर्स पस्टॉर्प केमिकल्स जीएमबीएच एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य तथा तांगशान सान्यो ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ शामिल हैं। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी को अपनी सुसंगत पद्धति से विचलित होने हेतु कोई साक्ष्य अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया है।
104. प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अतिरिक्त किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने शुल्कों के प्रभाव के परिकलन हेतु कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रभाव मूल्यांकन की पद्धति पर विवाद नहीं किया है।
105. साइनोब्राइट ने तर्क दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा किसी एक घरेलू उत्पादक पर निर्भरता से सुनिश्चित नहीं की जा सकती और घरेलू स्रोतों तथा उचित कीमत वाले आयातों सहित आपूर्ति के अनेक विश्वसनीय स्रोतों की आवश्यकता है। प्राधिकारी इस बात से सहमत हैं कि आपूर्ति की सुरक्षा और निरंतरता विविधीकृत एवं विश्वसनीय स्रोतों की उपलब्धता से सर्वोत्तम रूप से सुनिश्चित होती है। तथापि, पाटनरोधी शुल्कों

का अधिरोपण इस उद्देश्य को कमजोर नहीं करता। पाटनरोधी उपाय का प्रयोजन न तो आयातों को प्रतिबंधित करना है और न ही घरेलू उद्योग को अनन्यता प्रदान करना, अपितु केवल पाटन के क्षतिकारी प्रभाव को निष्प्रभावी करना तथा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को पुनर्स्थापित करना है।

106. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि शुल्क अधिरोपण के पश्चात भी संबद्ध देशों से आयात भारत में प्रवेश करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है। अतः, अनुशंसित उपाय आयातित आपूर्ति स्रोतों तक पहुंच को बनाए रखेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आयात अनुचित रूप से पाटित कीमतों के आधार पर प्रतिस्पर्धा न करें। वस्तुतः, एक व्यवहार्य घरेलू स्रोत के साथ-साथ उचित कीमत वाले आयातों की निरंतर उपलब्धता एक अधिक विविधीकृत, सुदृढ़ और संधारणीय आपूर्ति श्रृंखला में योगदान देगी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य के अनुरूप होगी।

ट. निष्कर्ष

107. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों तथा उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के पश्चात, और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
- (य) विचाराधीन उत्पाद एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड है।
 - (र) पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की मांग करने वाला आवेदन ल्यूपिन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के संदर्भ में पात्र घरेलू उत्पादन में ल्यूपिन लिमिटेड का प्रमुख हिस्सा है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
 - (ल) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
 - (व) जहां तक चीन जन.गण. का संबंध है, किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, अतः चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल तथा पाटनरोधी

नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में संदत्त अथवा संदेय कीमत के आधार पर किया गया है।

- (श) जहां तक थाईलैंड का संबंध है, थाईलैंड से किसी भी निर्यातक ने भाग नहीं लिया है। तदनुसार, ऐसे निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के संदर्भ में किया गया है। सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर किया गया है।
- (ष) निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक तथा महत्वपूर्ण है।
- (स) घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति हुई है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:
 - (i) क्षति अवधि की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है।
 - (ii) संबद्ध देशों से संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
 - (iii) संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है और उन कीमत वृद्धियों को रोका है जो अन्यथा हो जातीं।
 - (iv) संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। मांग में हुई वृद्धि सहित संबद्ध वस्तुओं की संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रिय रहा।
 - (v) घरेलू उद्योग को जांच अवधि में हानि एवं नकद हानि हुई है तथा उसे नकारात्मक आय प्राप्त हुई है।
 - (ह) किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण है।
 - (क्ष) भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है।

- (त्र) पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण व्यापक जनहित में है, क्योंकि इससे उचित बाजार स्थितियां पुनर्स्थापित होंगी और भारत में समान अवसर स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि एवं नकद हानि हुई है तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में, बाजार की स्थितियां आगे निवेश हेतु अनुकूल नहीं हैं।
- (ज) महत्वपूर्ण रूप से, संबद्ध वस्तुओं का उपयोग क्षयरोग-रोधी दवाओं के विनिर्माण में किया जाता है। अतः, घरेलू स्रोतों सहित आपूर्ति के विविध स्रोतों का होना सार्वजनिक हित में है।

ठ. सिफारिश

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने तथा संचालित करने के पश्चात, प्राधिकारी का मत है कि पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण अपेक्षित है। अतः, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।
109. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं:

गैर-गोपनीय

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि (अमेरिकी डॉलर/मी.ट.)
1	2	3	4	5	6	7
1	2905 1410, 2905 1490	“एथमब्यूटोल, एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड”	चीन जन.गण.	कोई भी	वुहान वुयाओ फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	5,347
2	यथोपरि	यथोपरि	चीन जन.गण.	कोई भी	क्र.सं. 1 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	7,234
3	यथोपरि	यथोपरि	चीन जन.गण. और थाईलैंड साम्राज्य के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी	7,234
4	यथोपरि	यथोपरि	थाईलैंड साम्राज्य	कोई भी	कोई भी	6,584
5	यथोपरि	यथोपरि	चीन जन.गण. और थाईलैंड साम्राज्य के अतिरिक्त कोई भी देश	थाईलैंड साम्राज्य	कोई भी	6,584

गैर-गोपनीय

टिप्पणी - उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी, जिसकी पहचान उसके नाम और पदनाम से की गई हो, द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित, निम्नानुसार तैयार की गई घोषणा अंकित होगी:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात हेतु विक्रय किए गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (देश का नाम) में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।”

यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमाशुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ड. आगे की प्रक्रिया

110. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील, अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अमिताभ कुमार
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)